रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062021-227701
**CG-DL-E-18062021-227701**

असाधारण
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 333] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
**No. 333] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISHTHA 28, 1943**

## वित्त मंत्रालय

**(वित्त सेवाएं विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

**सा.का.नि. 417(अ)**. – केन्द्रीय सरकार, बीमांकक अधिनियम 2006 (2006 का 35) की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (ग) और (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमांकक (वृत्तिक और अन्य अवचार की जांच के लिए प्रक्रिया) नियम 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1.** (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम बीमांकक (वृत्तिक और अन्य अवचार की जांच के लिए प्रक्रिया) नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।

**2.** बीमांकक (वृत्तिक और अन्य अवचार के लिए जांच प्रक्रिया) नियम 2008 के नियम 1 उपनियम (1) में हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नही है।

**3.** उक्त नियम के नियम 2 के उपनियम (1) में, -

(i) खंड (च) के स्थान निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(च) "हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्कता नही है ;';

(ii) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ञ) "किसी सदस्य के संबंध में "वृत्तिक पता" से इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट पता अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ठ) में "उपाबद्ध अनुसूची" शब्दो के स्थान पर "अनुसूची" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ड) "विडियो कांफ्रेसिंग" से ऐसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक संसूचना प्रसुविधा अभिप्रेत है जो उन व्यष्टि को जिससे इन नियमो के अधीन किसी मध्यवर्ती के बिना अन्य भागीदारो या उपस्थित व्यक्तियों को से साथ-साथ संसूचना करना तथा ऐसी बैठको और सुनवाईयों मे प्रभावी रूप से भाग लेना अपेक्षित है और जो ऐसी भागीदारी और उपस्थिति को तारीख और समय के साथ अभिलिखित करने तथा ऐसे अभिलेखन को भंडारित और पुनः प्राप्त करने में समर्थ है । '।

**4.** उक्त नियम के अध्याय 2 के शीर्ष में हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नही है ।

**5.** उक्त नियम के नियम 3 में, -

(i) उपनियम (1) में, "डाक या कुरियर" शब्दो के पश्चात् "संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मेल या ऑनलाइन के" शब्दो को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (2) में "उपनियम (1) के अधीन डाक या कुरियर द्वारा भेजी गई" शब्दो के स्थान पर "उपनियम (1) मे निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (5) में "किसी कंपनी" शब्दो के पश्चात "ऐसी कंपनी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपनियम (7) में, "यथास्थिति व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजे जाने के प्रमाणपत्र के अधीन" शब्दो का लोप किया जाएगा ;

**6.** उक्त नियम के नियम 4 में, -

(i) उपनियम (1) मे "(आई सी ए आई प्रभार 100 रु.) जो विनियमो द्वारा" शब्दो, कोष्ठको और अंको का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (2) मे "भारत मे किसी बैंक पर" शब्दो के पश्चात् "इलेक्ट्रानिक रूप से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

**7.** उक्त नियम के नियम 5 मे, -

(i) उपनियम (4) के खंड (क) में हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्कता नहीं है ;

(ii) उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) यदि संवीक्षा पर कोई शिकायत त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और –

(क) त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो निदेशक शिकायतकर्ता को निदेशक की उपस्थिति मे उसका परिशोधन करने की अनुज्ञा दे सकेगा ;

(ख) त्रुटि जो खंड (क) मे निर्दिष्ट है उससे भिन्न प्रकृति की है तो निदेशक शिकायतकर्ता को, पन्द्रह दिनो से अनधिक उस समय जिसे निदेशक त्रुटि का परिशोधन करने के लिए उपयुक्त समझे, अनुज्ञात कर सकेगा ।"।

**8.** उक्त नियम के नियम 7 में, -

(i) उपनियम (1) मे, "कोरियर" शब्द के पश्चात या "संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मेल या आनलाई" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्कता नहीं है ;

**9.** अध्यान 3 के शीर्ष में हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्कता नहीं है ।

**10.** उक्त नियम के नियम 9 में, -

(i) उपनियम (1) में "विनिर्दिष्ट अनुसूची के अधीन" शब्दो के स्थान पर "अनुसूची मे विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3), (4), (5), (6), (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) समिति के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रथम दृष्ट्या राय से सहमत होने के मामले मे यह अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही कर सकेगी ।

(4) समिति के उपनियम (2) मे निर्दिष्ट प्रथम दृष्ट्या राय से असहमत होने के मामले मे यह अपनी असहमती के कारणो को लिखित करते हुए या तो परिषद को इसकी रिपोर्ट दाखिल करेगी या शिकायत मे अतिरिक्त जांच करने के लिए निदेशक को सलाह देगी, जो ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् उपनियम (2) या उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रीति से मामले को समिति के समक्ष रखेगा ।

(5) जहां निदेशक की प्रथम दृष्ट्या यह राय है कि सदस्य या फर्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी आचरण के लिए दोषी नहीं है है तो वह शिकायत के साथ अपनी राय और अन्य अतिरिक्त विशिष्टियां या दस्तावेज और अन्य सुसंगत कागजात समिति के समज रखेगा ।

(6) समिति के उपनियम (5) में निर्दिष्ट प्रथम दृष्ट्या राय से सहमत होने के मामले मे यह अपनी सहमती को लिखित करते हुए परिषद को रिपोर्ट दाखिल करेगी ।

(7) समिति के उपनियम (5) मे निर्दिष्ट प्रथम दृष्ट्या राय से असहमत होने के मामले मे यह या तो अध्याय 4 मे विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही करेगी या शिकायत मे अतिरिक्त जांच करने के लिए निदेशक को सलाह देगी जो ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् उपनियम (2) या उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रीति से मामले को समिति के समक्ष रखेगा ।

**11.** उक्त नियम के नियम 10 में, उपनियम (1) में "किसी संदेशवाहक" शब्द के स्थान पर "कोरियर या इलेक्ट्रानिक मेल" शब्दो को रखा जाएगा ;

**12.** उक्त नियम के नियम 13 में उपनियम (3) में हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्कता नही है ;

**13.** उक्त नियम के नियम 14 मे, -

(क) उपनियम (2) में, "नियम 2 या नियम 9 के अधीन आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करती है" शब्दो और अंको के स्थान पर "अध्याय 4 मे विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही करने के लिए नियम 9 के अधीन विनिश्चय करती है" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (4) में "समय के भीतर भेजेगा" शब्द के स्थान पर "उपनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर भेजी जा सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपनियम (5) में "दस्तावेजो सहित यदि कोई हो" शब्दो के पश्चात् "ऐसे समय के भीतर जो समिति विनिर्दिष्ट करे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपनियम (6) में "उनसे मौखिक निवेदन, यदि कोई हो, भेजने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा" शब्दो के स्थान पर "उनसे मौखिक निवेदन, यदि हो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो-कांफ्रेसिंग (जब वीडियो-कांफ्रेसिंग सुविधा संबंधित ब्यौरे संसूचित किए जा रहे हो) माध्यम से, उस मामले मे जहां समिति ऐसा विनिश्चय करती है, उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (7) मे हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नही है ;

(च) उपनियम (9) "हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नही है" ;

(छ) उपनियम (11) और (12) मे संशोधन की आवश्यकता नही है" ;

(ज) उपनियम (19) मे "प्रत्युत्तर" शब्द के स्थान पर "'शिकायतकर्ता" शब्द रखा जाएगा ।

**14.** उपनियम 15 मे हिन्दी पाठ मे उक्त नियम के संशोधन की आवश्यकता नही है ।

**15.** उक्त नियम मे नियम 18 को नियम 19 के रूप के रूप मे संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुन: संख्याकित नियम 19 से पहले निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"18. बैठक और सुनवाई मे सहभागिता और उपस्थिति –** समिति स्वप्रेरणा से या संबंधित व्यष्टि के अनुरोध पर ऐसे व्यष्टि और ऐसे अन्य व्यष्टियो जिन से इस संबंध मे परिषद् द्वारा अनुमोदित और संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित मार्गदर्शी सिद्धांतो के अधीन रहते हुए बैठक मे या सुनवाई मे भाग लेने या उसमे उपस्थित होने के लिए अपेक्षा की जाती है

या उसके द्वारा उन्हे अनुज्ञात किया जाता है, को अधिसूचित करने के पश्चात् विडियो- कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक या सुनवाई मे सहभागिता या उपस्थित को संचालित करा सकेगी या अनुज्ञात कर सकेगी । " ।

परन्तु विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा ऐसी सहभागिता या उपस्थिति की रिकार्डिंग दस वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी विडियो कांफ्रेसिंग इन नियमो के अधीन अपेक्षित शिकायत के संबंध में है और ऐसी जांच किसी न्यायालय प्रक्रिया की विषयवस्तु है या रह चुकी है तो विडियो कांफ्रेसिंग की रिकार्डिंग ऐसी प्रक्रिया के निष्कर्ष की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि का अवसान होने या दस वर्ष तक इनमे से जो भी पश्चात्वर्ती हो, रखी जाएगी । ; ।

**16.** उक्त नियम के इस प्रकार पुन: संख्याकित नियम 19 मे, हिन्दी पाठ मे संशोधन की आवश्यकता नही है ।

**17.** उक्त नियम के संलग्न प्ररूप मे, -

(i) "उपाबंध" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 3 में "अंतिम पता" शब्द के पश्चात् "और ई-मेल पता" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) क्रम संख्या 4 मे "वृत्तिक पता" शब्दों के पश्चात् "और ई-मेल पता" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

[फा.सं. एम-18013/01/2021-आई एन एस I]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, संख्याक सा.का.नि. 495 (अ) तारीख, 2 जुलाई, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गए थे ।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Financial Services)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

**G.S.R. 417(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 55 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Actuaries (Procedure for Enquiry of Professional and Other Misconduct) Rules, 2008, namely:—

**1.** (1) These rules may be called the Actuaries (Procedure for Inquiry of Professional and Other Misconduct) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Actuaries (Procedure for Enquiry of Professional and Other Misconduct) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the word "Enquiry", the word "Inquiry" shall be substituted.

**3.** In rule 2 of the said rules, in sub-rule (1),—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

'(f) "Form" means the Form appended to these rules;';

(ii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

'(j) "professional address" means, in relation to a Member, the address entered in the register maintained by the Institute under the Act;';

(iii) in clause (l), for the words "Schedule annexed", the words "the Schedule" shall be substituted;

(iv) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:—

'(m) "video-conferencing" means audio-visual electronic communication facility which enables individuals who are required to or may participate in or attend any meeting or hearings under these rules to communicate concurrently with other participants or attendees, without any intermediary, and to participate effectively in such meeting or hearings, and which is capable of recognising such participation and attendance, recording the same along with date and time, and storing and retrieving such recording.'.

**4.** In Chapter II of the said rules, in the heading, for the word "ENQUIRY", the word "INQUIRY" shall be substituted.

**5.** In rule 3 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), after the words "post or courier", the words, "or made by way of electronic mail or online through the website of the Institute" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "sent by post or courier under", the words "referred to" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (5), after the words "a company", the words "such complaint" shall be inserted;

(iv) in sub-rule (7), the words "upon receipt of complaint in person or by post under a certificate of posting as the case may be" shall be omitted.

**6.** In rule 4 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), the words, brackets and figures, "through regulations(ICAI charge Rs. 100/-)" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (2), after the words, "bank in India", the words, "or electronically" shall be inserted;

**7.** In rule 5 of the said rules,—

(i) in sub-rule (4), in clause (a), for the word "respondent", the word "Defendant" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) If, on scrutiny, a complaint is found to be defective, and—

(a) the defect is formal in nature, the Director may allow the complainant to rectify the same in the presence of the Director;

(b) the defect is of a nature other than that referred to in clause (a), the Director may allow the complainant such time not exceeding fifteen days as the Director may deem fit for rectifying the defect.".

**8.** In rule 7 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), after the words "courier", the words "or by way of electronic mail or online through the website of the Institute" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), for the word "enquiry", the word "inquiry", shall be substituted.

**9.** In Chapter III of the said rules, in the heading, for the word "ENQUIRY", the word "INQUIRY" shall be substituted.

**10.** In rule 9 of the said rules,—

(i) in sub-rule (1), for the words "under the as specified Schedule", the words "specified in the Schedule" shall be substituted;

(ii)for sub-rules (3), (4), (5), (6), (7) and (8), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) In case the Committee agrees with the *prima facie* opinion referred to in sub-rule (2), it may proceed in the manner specified in Chapter IV.

(4) In case the Committee disagrees with the *prima facie* opinion referred to in sub-rule (2), it shall either submit its report to the Council while recording the reasons for its disagreement or advise the Director to make further inquiry into the complaint, who shall, after making

such further inquiry, place the matter before the Committee in the manner specified in sub-rule (2) or sub-rule (5).

(5) Where the Director is of the *prima facie* opinion that the member or the firm is not guilty of any conduct specified in the Schedule, he shall place his opinion along with the complaint and other additional particulars or documents and all other relevant papers before the Committee.

(6) In case the Committee agrees with the *prima facie* opinion referred to in sub-rule (5), it shall submit its report to the Council recording its agreement.

(7) In case the Committee disagrees with the *prima facie* opinion referred to in sub-rule (5), it shall either proceed in the manner specified in Chapter IV or advise the Director to make further inquiry into the complaint, who shall, after making such further inquiry, place the matter before the Committee in the manner specified in sub-rule (2) or sub-rule (5).".

**11.** In rule 10 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "or a messenger", the words, "or courier or electronic mail" shall be substituted.

**12.** In rule 13 of the said rules, in sub-rule (3), for the word, "dully", the word "duly" shall be substituted.

**13.** In rule 14 of the said rules,—

(a) in sub-rule (2), for the words and figures "decide to proceed further under rule 2 or rule 9", the words and figures "decides under rule 9 to proceed in the manner specified in Chapter IV" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the words "the time", the words "such time as may be specified under sub-rule (3)" shall be substituted;

(c) in sub-rule (5), after the words "documents, if any", the words "within such time as the Committee may specify" shall be inserted;

(d) in sub-rule (6), for the words "in person to make oral submission, if any", the words "to make oral submission, if any, in person, or in case the Committee so decides, through video-conferencing (while communicating the details regarding the video-conferencing facility)" shall be substituted;

(e) in sub-rule (7), for the word "precede", the word "proceed" shall be substituted;

(f) in sub-rule (9), for the words "take submit the", the words "submit its" shall be substituted;

(g) in sub-rules (11) and (12), for the word "complaint", the word "complainant" shall be substituted;

(h) in sub-rule (19), for the word "respondent", the word "complainant" shall be substituted.

**14.** In rule 15 of the said rules, in sub-rule (2), for the word "enquiry", occurring at both places, the word "inquiry", shall be substituted.

**15.** In the said rules, rule 18 shall be numbered as rule 19 and before rule 19 as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely:—

**"18. Participation or attendance in meeting or hearing.—**The Committee may, on its own or on the request of the individual concerned, conduct or allow participation or attendance in a meeting or hearing through video-conference, after notifying such individual and such other individuals who are required or permitted by the Committee to participate in or attend the meeting or hearing, subject to guidelines approved by the Council in this regard and published on the website of the Institute:

Provided that any recording made of such participation or attendance by video-conference shall be retained for a period of ten years:

Provided further that if such video-conference is in respect of a complaint inquired into under these rules and such inquiry is or has been the subject matter of any court proceedings, the recording of the video-conference shall be retained till the expiry of a period of three years beyond the date of conclusion of such proceedings, or ten years, whichever is later.".

**16.** In rule 19 as so renumbered of the said rules, for the word "enquiry", the word "inquiry" shall be substituted.

**17.** In the Form appended to the said rules,—

(i) the word "ANNEXURE" shall be omitted;

(ii) in serial number 3, after the words "Latest address", the words "and email address", shall be inserted;

(iii) in serial number 4, after the words "professional address", the words "and email address" shall be inserted.

[F. No. M-18013 /01/2021-Ins.I]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 495(E), dated the 2nd July, 2008.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.18 19:59:09 +05'30'